



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-329

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 287643 दिनांक 16/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajkumar Shrimal S/o	श्री हनुमान शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा	109	100.00 SQ. YARD	Private	SHAKUNTAL AM	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना शकुन्तलम भूखण्ड संख्या 109 क्षेत्रफल 100 व.ग. की लीजडीड दिनांक 21.09.2011 को श्री हनुमान शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात दिनांक 05.06.2014 को उक्त भूखण्ड संख्या 109 क्षेत्रफल 100 व.ग. को श्री हनुमान शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्री सतीश अग्रवाल एचयूएफ जरिये कर्ता श्री सतीश अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल को बेचान किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.02.2018 को उक्त भूखण्ड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

संख्या 109 क्षेत्रफल 100 व.ग. को श्री सतीश अग्रवाल एचयूएफ जरिये कर्ता श्री सतीश अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री मंगतूराम को बेचान किया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.05.2019 को उक्त भूखण्ड संख्या 109 क्षेत्रफल 100 व.ग. को श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री मंगतूराम द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्री राजकुमार श्रीमाल पुत्र स्व0 श्री किस्तुर चन्द को बेचान किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajkumar Shrimal S/o को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004